न्यायाल्य- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश पीठासीन अधिकारी- केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण कमांक 869/2014 संस्थापित दिनांक 29.09.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

अभियोजन

बनाम

- राजकुमारी उर्फ छोटी पुत्री भोलाराम बाथम उम्र-18साल
- सगुना पत्नि भोलाराम बाथम उम्र-24साल 2.
- अनीता पत्नि विन्द्रावन बाथम उम्र–22साल 3.
- विन्द्रावन पुत्र भोलाराम बाथम उम्र-24साल समस्त निवासीगण वार्ड क02गोहद.जिला भिण्ड म०प्र०

अभियुक्तगण

::- नि र्ण य -:: (आज दिनांक 24 / 11 / 14 को घोषित किया)

- आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 498ए के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 15/09/14 को शाम 7:00 बजे फरियादी का घर वार्ड क02 में फरियादिया को उसका पति एवं रिश्तेदार फरियादिया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर दहेज की मांग कर करता का व्यवहार किया ।
- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह हैकि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी व आहतों का आरोपीगण से आपसी राजीनामा हो गया है ।
- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया वर्षा ने मय पति पति राजवीर विपता रामबाबू माँ सुनीता भाई संतोष के साथ पुलिस थाना गोहद में दिनांक 15/9/14 को उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि उसके पिता ने उसकी शादी रीति रिजाज के अनुसार वार्ड क02 गोहद में 18 अप्रेल 2014 को की थी सामर्थ के

अनुसान दान दहेज दिया था। जब वह शादी होकर ससुराल गोंद आं तो दूसरे दिन से ही उसकी सास सगुनादेवी व जेठ विन्द्रावन, जेठानी अनीता तथा नंद कु. छोटी बाले कि तुम्हारे पिता ने मौटरसायिकल व दाई लाख रूपये नही दिये घर से लेकर आओ फिर उसकी चौथी बार उसका माई संतोष पिता के यहां लेकर गया तो उसके पिता व माता जी व माई संतोष से दहेज मागने की बात बतायी फिर पन्द्रह दिन बाद उसे पित राजवीर उसे लेकर गोहद आया तो पुनः यह लोग उसे आये दिन दहेज लाने को लेकर रोजाना प्रताउित कर मानिसक रूप से परेशान करने लगे उसके पिता व माँ एवं अन्य लोगों ने इसको समझाया नहीं माने और आये दिन उसकी मारपीट करने लगे आज सुबह उसकी सास सगुना व नंद छोटी बोली तुम मोटरसायिकल व रूपये नहीं मगा रही हो उसकी लातों व लाठी डंडो से मारपीट की।

- 4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा <u>अप0क0302/14</u> पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफतार किया गया आहत का मेडीकल परीक्षण कराया जाकर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 5. प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0वि0की धारा 498ए के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाकर आरोपीगण को सुनाये व समझाये गये तो उन्होंने आरोपित आरोप करने से इंकार किया तथा प्ली दर्ज की गई।
- 6. प्रकरण में फरियादी का आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जाकर आरोपीगण को भा0द0वि0की धारा 498ए के आरोपित आरोप शमन योग्य अपराध न होने से उसमें विचारण यथावत जारी रहा।

7.. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह हैकि:-

 क्या आरोपीगण ने फिरयादी को दहेज की मांग कर करता पूर्ण व्यवहार किया?

सकारण निष्कर्ष

8. श्रीमती वर्षा आ0सा01 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिर्पोट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना हैकि सास सगुनादेवी, जेठ विन्द्रावन, जिठानी अनीता, नंद छोटी, को वह जानती है यह सभी उसके ससुराल पक्ष के लोग है उसकी राजवीर के साथ 18 अप्रैल 14 में शादी हुई थी शादी के बाद वह अपनी ससुराल गई तो यह लोग उसे अच्छे से रखते थे कभी मोटरसायकिल व रूपयों की मांग नहीं की किसी ने भी

उसकी मारपीट नहीं की ससुराल वालों से कहा सुनी हुई थी इस संबंध में रिपोर्ट लिखाई जो प्र0पी01 की है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्र0पी02 काहै जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के द्वारा दहेज मांगे जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपीगण ने दहेज की मांग कर फरियादी को मानसिंक व शारीरिक रूप सेप्रताडित किया था। साक्षी के कथनो से घटित अपराध व प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं होता है।

- 9. राजवीर आ0सा02 का कहना हैकि वर्षा से उसकी शादी 18 अप्रैल 14 को हुई थी। उसकी मम्मी,भाई, बहन, उसकी पत्नि वर्षा को दहेज लाने के लिये कभी परेशान नहीं करते थे और न ही कभी मारपीट की वर्षा ने उसे कभी नहीं बताया कि उसके घर वाले उसे परेशान करते है। साक्षी के द्वारा दहेज मांगे जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपीगण ने दहेज की मांग कर वर्षा को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित किया था। साक्षी के कथनो से घटित अपराध व प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं होता है।
- 10. प्रकरण में फरियादी व आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता हैकि फरियादी व साक्षी ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये है इसलिये घटित अपराध फरियादी के कथनों से प्रमाणित नहीं होता है।
- 11. प्रकरण में घटित अपराध इस प्रकार का हैकि जो घर की 04 दीवाली के अंदर घटित होता है। जिसको वही व्यक्ति प्रमाणित करने में सक्षम है जिसके साथ अपराध घटित हुआ है ओर फरियादी वर्षा द्वारा ही न्यायालय में आकर घटित अपराध की पुष्टि नहीं की है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विरुद्ध भा०द०वि०की धारा498ए के अपराध पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये।
- 12. प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा0द0वि0की धारा 498ए का अपराध पूर्णतः अप्रमाणित है। अतः आरोपीगण को आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपीगण के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते है।
- 13. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।
- 14. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपील/याचिका माननीय

4

अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर होती है और अपीलीय न्यायालय आरोपी को आहूत करता है तो इस संबंध में आरोपी की ओर से धारा 437ए के प्रावधान के तहत 10 हजार रूपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र लिया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता०सही जे०एम०एफ०सी०गोहद जिला भिण्ड हस्ता०सही जे०एम०एफ०सी०गोहद जिला भिण्ड